राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5738/2024

1. राम प्रताप बिश्नोई पुत्र श्री हनुमानाराम बिश्नोई, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी ग्राम देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर।
2. विमला प्रजापत पुत्री श्री ओमप्रकाश प्रजापत, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 169, सुन्दर नगर, पाली।
3. सरिता चौधरी पुत्री श्री पूनम चंद चौधरी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 4 सीएचडी, छत्तरगढ़, जिला बीकानेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

<u>के साथ</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2117/2024

1. सुनील कुमार पुत्र श्री साहब राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, वीपीओ रामपुरा उर्फ रामसरा, वार्ड नंबर 7, 3 आरडब्ल्यूडी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. सचिन मैया पुत्र श्री बिरदी चंद, उम्र करीब 29 साल, वार्ड नंबर 07, चारण वासी के पास, रतनगढ़, चूरू।
3. हनुमान सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, वीपीओ भिकारनिया कलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर।
4. दिलीप कुमार डपकरा पुत्र श्री शिवनारायण डपकरा, उम्र लगभग 32 वर्ष, बुराडिया झाला, तहसील गंगाधर, जिला झालावाड़।
5. राणा राम पुत्र श्री ईशरा राम, उम्र लगभग 42 वर्ष, वीपीओ लीलसर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
6. दिलीप दान पुत्र श्री भंवर दान, उम्र लगभग 36 वर्ष, वीपीओ चारणवासी, आसलखेड़ी, जिला चूरू।
7. पुनम चंद पुत्र श्री पेमा राम नाई, उम्र लगभग 30 वर्ष, वार्ड नंबर 7, लालमदेसर, बारा, जिला बीकानेर।
8. संदीप कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 40 वर्ष, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के पास, गली नंबर 31, वार्ड नंबर 5, जयपुर रोड, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

9. पूनी पुत्री श्री दीपाराम, उम्र करीब 28 साल, वीपीओ डोलानियों की ढाणी, सादड़ी, पीलवा, जिला जोधपुर।

10. हेमलता गोदारा पुत्री श्री राणा राम पत्नी श्री प्रभु राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, कड़वासरों की ढाणी, रामसर का कुआ, जिला बाड़मेर।

11. हनुमान पुत्र श्री सिमरथा राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, वीपीओ आदर्श केकर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

12. हरीश पुत्र श्री गोमा राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, ढेरोमणि पोटलियों की ढाणी, बायतु, जिला बाडमेर।

13. सत्यपाल पुत्र श्री हरदेवा राम, उम्र लगभग 41 वर्ष, वार्ड नंबर 6, वीपीओ पदमपुरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

14. तारा स्वामी पुत्री श्री केशरी चंद स्वामी पत्नी श्री रामावतार स्वामी, उम्र लगभग 33 वर्ष, 151, बापू आसाराम, शोभासर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू।

15. प्रेम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, तिवारियों की ढाणी, हरिया ढाणा, बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

16. कवराज राम पुत्र श्री मोटा राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, कसूमबाला भाटियान, बायतु, गिड़ा, जिला बाड़मेर।

17. सुनीता कुमारी पुत्री श्री गिरधारी सिंह पत्नी श्री सूर्यनारायण भूरिया, उम्र लगभग 38 वर्ष, 292, प्रभात नगर, सांगिया पब्लिक स्कूल के पास, बनाड़ रोड, जोधपुर।

18. करिश्मा पुत्री श्री आनंद बुडानिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, ढाणी पचेरा, सरदारशहर, चूरू।

19. अचला राम पुत्र श्री बाला राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, पंवारिया का तला, लीलसर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

20. सांवला राम पुत्र श्री जेरामा राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, मुकाम मोकनी खेड़ा, पोस्ट बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर।

21. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्रीप्रकाश सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, उपरी कोल्डी, असरावा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन।

22. कमला पुत्री श्री मानसी राम पत्नी श्री जोधराज, उम्र लगभग 39 वर्ष, दुलचास, वाया बिसाऊ, तहसील मंडावा, जिला झुंझुनू।

23. श्री निवास पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र करीब 41 साल, वीपीओ दानजी की ढाणी, जूसरिया, वाया मकराना, जिला नागौर।

24. राजेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 38 वर्ष, वार्ड नंबर 6, ढिकाली जाटान, 9 जीजीएम, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

25. भगवंत सिंह पुत्र श्री प्रकाश दान, उम्र लगभग 35 वर्ष, नाथूसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर।

26. मांगा राम पुत्र श्री मूला राम, उम्र करीब 38 साल, थिरोद, जिला नागौर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2199/2024

1. शिव रतन सैनी पुत्र श्री मगनी राम सैनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी रामानंद शर्मा की बड़ी के पास, वार्ड नंबर 01, तारानगर, जिला चुरू, राजस्थान।
2. राजेंद्र सिंह पूनिया पुत्र श्री अवतार सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट कोहिना, तहसील व जिला चूरू, राजस्थान।
3. जगदीश पुत्र श्री भागचंद, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट नोसर, जिला जोधपुर, राजस्थान।
4. विक्रम सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट कोटरा, करवाडा, जिला जालोर, राजस्थान।
5. दिनेश कुमार पुत्र श्री नरना राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम भटीप, रानीवाड़ा, जिला जालोर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2573/2024

जुगल किशोर पालीवाल पुत्र श्री टीकम चंद, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी मंडला खुर्द, तहसील - देचू, जिला - जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिव, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।

---प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विवेक फिरोदा

श्री जयराम सारण

श्री अनिल बिश्नोई

श्री दुर्गेश खत्री

प्रतिवादी(गण) के लिए : ----------

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

23/05/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष, उपर्युक्त शीर्षक वाली याचिकाओं में, कुछ असफल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी और इतिहास विषयों में व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। उनकी आम शिकायत यह है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों के संबंध में, विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा चुने गए उत्तर वेबसाइट पर अपलोड की गई उत्तर कुंजी के अनुसार गलत थे।

2. योग्यता पर विचार करने से पहले, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि एक बार चयन प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी है और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, उस चरण के बाद, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ताओं के इस अधूरे आरोप पर कि चुनौती दिए गए प्रश्नों के कुछ गलत जवाब उत्तर कुंजी में अपलोड किए गए हैं, मामले में हस्तक्षेप के लिए बहुत देर हो चुकी है।

3. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला नहीं है कि उत्तरदाताओं की ओर से जानबूझकर उन प्रश्नों को अपलोड करने का कोई परोक्ष उद्देश्य है, ताकि कुछ उम्मीदवारों को लाभ मिल सके, जिन्होंने गलत उत्तर देने का प्रयास किया होगा। इस मामले में, परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही उत्तर कुंजी लागू की गई है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए गए हैं और मेरिट सूची तैयार की गई है। केवल इस आधार पर, कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

4. इसके अलावा, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता स्वयं यह घोषणा कर रहे हैं कि उनके शोध के अनुसार, उत्तर कुंजी में उत्तर गलत प्रतीत हुए, इस न्यायालय के लिए विशेषज्ञ परीक्षकों की राय के स्थान पर याचिकाकर्ताओं की राय को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं है।

5. मामले का एक अन्य पहलू यह है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आरपीएससी द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की सकारात्मक दलील यह है कि आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है, तो उसे उचित प्रक्रिया का पालन करके दर्ज किया जा सकता है। इसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। उक्त आपत्तियों पर आरपीएससी द्वारा विचार किया गया था। और, यह भी उनका मामला है कि आरपीएससी द्वारा आपत्तियां प्राप्त होने के बाद वास्तव में कुछ प्रश्न हटा दिए गए थे।

6. याचिकाकर्ताओं का मामला यह भी नहीं है कि आपत्तियों की समीक्षा के लिए आरपीएससी द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने उनकी आपत्तियों पर गौर नहीं किया। यह तथ्य कि कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया, अपने आप में यह दर्शाता है कि विशेषज्ञ समिति ने अपना विवेक लगाया और जहां भी उचित समझा गया, सुधारात्मक उपाय किए गए।

7. इस आधार पर, मेरा मानना है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए आगे कुछ भी नहीं बचा है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलों में जहां साफ और स्पष्ट गलती पाई जाती है, यह न्यायालय परीक्षकों की राय के स्थान पर अपनी राय दे सकता है। हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को परीक्षकों की विशेषज्ञ राय में हस्तक्षेप करना चाहिए और अपनी राय को प्रतिस्थापित करना चाहिए। डोमेन विशेषज्ञता को विशेषज्ञों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है और यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह विशेषज्ञों के निर्णय पर अपील में बैठकर अपनी राय प्रतिस्थापित करे।

9. याचिकाकर्ताओं के पास परिणाम घोषित होने से पहले प्रश्नों के मुख्य उत्तरों को चुनौती देने का विकल्प खुला था। यह तथ्य कि असफल होने के बाद ही उन्होंने देरी से उन्हें चुनौती दी है, इस न्यायालय के लिए देरी और गलत प्रस्तुति के आधार पर हस्तक्षेप न करने का पर्याप्त कारण है।

10. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। खारिज की जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।